कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, भोपाल

क्रमांक/स्था./2024/ 12436 भोपाल, दिनांक - 12-12-24

विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन (निःशक्तजन) की भर्ती हेतु "वॉक–इन–इन्टरव्यू" के माध्यम से जी.आई.एस. विशेषज्ञ के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

//विज्ञापन//

सहायक संचालक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था. 2/2024/1696 दिनांक 09.09.2024 एवं दिव्यांगजनों हेतु दिनांक 13 सितम्बर 2024 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक/ए। 1/5/5/0001/2024–1–10 दिनांक 10 सितम्बर 2024 के अनुपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन भवन, भोपाल हेतु दिव्यांगजन (निःशक्तजन) हेतु चिन्हांकित रिक्त पद की "वॉक–इन–इन्टरव्यू" के माध्यम से भर्ती अभियान के तहत संविदा पर तृतीय श्रेणी जी0आई0एस0 विशेषज्ञ के पद पर निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन (निःशक्तजन) उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक **30 दिसम्बर 2024 तक** आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पद का विवरण, शैक्षणिक योग्यताएं एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:–

श्रेणी	पदनाम	संविदा नियुक्ति हेतु स्वीकृत पद	वेतनमान	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग	रिमार्क
				दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमोटर, डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, (सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ, रोग मुक्त, बोनापन, एसिटअटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्रफी (1.5%)	आटिज्म बौध्दिक दिव्यांगता, स्पेसेफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	4	5	6	7			8	9
तृतीयश्रेणी	जी.आई.एस. विशेषज्ञ	01	28700 - 91300	-	01	-	-	01	संविदा

शैक्षणिक योग्यता :–

1	जी.आई.एस. विशेषज्ञ	**आवश्यक योग्यता :–** (क) भौगोलिक सूचना विज्ञान/कम्प्यूटर विज्ञान/भूगोल में या समकक्ष विषय में स्नातकोत्तर एवं जीआईएस में पीजी डिप्लोमा। **वांछनीय योग्यता :–** (क) आर्क जीआईएस (ArcGIS), क्यू–जीआईएस (Q-GIS) और अन्य ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर का ज्ञान। (ख) एसक्यूएल (SQL)एवं और बुनियादी रिलेशनल डेटाबेस का ज्ञान। (ग) जीआईएस और स्थानिक डेटाबेस बनाने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने का अनुभव। (घ) तकनीकी आवश्यकता (Technical Requirement) को समझने और निचले स्तर की अवधारणाओं (concepts) को सरल भाषा में संप्रेषित करने की क्षमता।

नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें:-

1– आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30/12/2024 होगी। आवेदन पत्र डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से शासकीय अवकाश को छोडकर कार्यालयीन समय प्रात 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल भोपाल खेल परिसर, इंदिरा निकुंज, 74 बंगले भोपाल पिन – 462003 में प्राप्त किये जावेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2– आवेदक की आयु–सीमा दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।

3– आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– आवेदक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

5– आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6– म0प्र0 शासन के नियम अनुसार जिनकी दो से अधिक जीवित संतान है, तथा उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 के पश्चात हुआ हो तो ये आवेदन करने की पात्र नहीं होगे।

7– विज्ञापन में दर्शाये गये आवेदन पत्र के प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। अन्य प्रारूप मे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें। आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगाना अनिवार्य होगा। आवेदन की शर्तें पूर्ण न करने अथवा अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

8– आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां सत्यापित कर लगाना अनिवार्य होगा।

9– चयनित उम्मीदवार का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन करवाया जावेगा। अनुकूल नहीं पाये जाने पर नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।

10– आवेदक को उनके चयन की सूचना उनके आवेदन पत्र में दर्शाये गये वर्तमान पत्र व्यवहार के पते पर डाक द्वारा दी जावेगी।

11– आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का अधिकार चयन हेतु गठित समिति का होगा। विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का ही मान्य होगा।

12– शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालय में कार्यरत आवेदनकर्ता को नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13– आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्ण सूचना दिये बगैर आवेदन पत्र किसी भी स्तर से निरस्त किया जा सकेगा।

14– बिना किसी पूर्व सूचना के चयन प्रक्रिया को स्थगित या निरस्त करने का अधिकार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल भोपाल के पास रहेगा। चयन नियुक्ति में चयन समिति वनमण्डलाधिकारी, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

15– आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति, मूल निवासी, जन्मतिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछा वर्ग/दिव्यांग आदि) से संबधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंकसूची/अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रति (स्वयं के द्वारा प्रमाणित संलग्न की जावे)।

16– केवल यूडीआइडी पोर्टल से सक्षम प्राधिकारियों व्दारा प्रदान किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (डिजीटल प्रमाण–पत्र) ही मान्य किया जावेगा।

17– मेरिट के आधार पर वॉक–इन–इन्टरव्यू के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

18– मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक/एफ–7–19/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 31.05.2024 में दिये निर्देशो के बिन्दु कमांक 2.6 अनुसार शासकीय सेवाओं में जिन दिव्यांगजनों का चयन हुआ है, उनके दिव्यांगता प्रमाण–पत्रों की जॉच नियुक्ति आदेश के बाद उनके कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से मेडीकल अनिवार्य है।

19– मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक/एफ–7–19/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 31.05.2024 में दिये निर्देशो के बिन्दु कमांक 2.7 अनुसार मूक बाधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) अनिवार्य है।

20– अन्य शर्तें :–

1. नियम 4 के अंतर्गत आचरण संबंधी प्रावधनों का उल्लंघन करने पर नियोजनकर्ता अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा एवं सुनवाई का अवसर देने के उपरांत यदि संविदा विशेषज्ञ शर्तों के उल्लंघन के लिये दोषी पाये जाने पर स्वयं स्पष्ट आदेश जारी कर तथा 1 माह का वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

2. **संविदा जी0आई0एस0 विशेषज्ञ उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से संविदा में माना जायेगा। यदि संविदा पर नियोजित कोई विशेषज्ञ किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से लगातार 15 दिवस या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसका संविदा नियोजन उसकी अनुपस्थिति तिथि से स्वतः समाप्त माना जायेंगा।**

3. संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत संविदा जी0आई0एस0 विशेषज्ञ पुनः नियोजन के लिये पात्र होगें। पुनः नियोजन की पात्रता का निर्धारण विगत दो वर्षो के कार्य का समग्र मूल्यांकन होगा। इसके लिये संविदा अवधि के समाप्त होने के दो माह पूर्व आवेदन करना होगा। विभाग द्वारा पुनः नियोजन के लिये आवेदन मान्य अथवा अमान्य करने का निर्णय नियम 2.।।। में वर्णित समिति द्वारा लिया जायेगा।

4. संविदा पर नियोजन के लिये अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी।

5. संविदा पर नियोजित संविदा जी0आई0एस0 विशेषज्ञ को 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संविदा नियोजनकर्ता के साथ करारनामा **परिशिष्ट–1** अनुसार निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

21– उक्त भर्तियों के सम्बंध में विस्तृत जानकारी (आवेदन–पत्र के फार्मेट सहित) विभागीय वेबसाइट mpforest.gov.in पर उपलब्ध हैं, अतः उक्त वेबसाइट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, भोपाल

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल भोपाल
मध्यप्रदेश

नवीनतम फोटो
हस्ताक्षर सहित

उम्मीदवार का विवरण :–

1. आवेदित पद का नाम (सुस्पष्ट अक्षरों में) : ....
2. आवेदक का नाम (सुस्पष्ट अक्षरों में) : ....
3. पिता/पति का नाम : ....
4. आवेदक की जन्मतिथि (अंकों में) : ....
   (शब्दों में) : ....
5. जन्म स्थान : ....
6. 01.01.2024 को आयु : वर्ष..................माह....................दिन.....................
7. स्थाई पता (पिन नम्बर सहित) : ....
8. वर्तमान पता (पिन नम्बर सहित) : ....
9. ई–मेल आई0डी0 : ....
10 शैक्षणिक योग्यता (सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियॉ संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

11. यदि आप शासकीय सेवक हैं तो : ....
   कार्यालय/विभाग का नाम : ....
   पदनाम : ....
   कार्यरत अवधि : ....
   नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें!
12. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक–––––––––––––––दिनांक––––––––––––
13. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं : ....
   अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो
   जाति/उपजाति का नाम
   सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
14. मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी : ....
   द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
15. विकलांगता का प्रतिशत : ....
   सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
   की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
16. विवाहित/अविवाहित : ....
17. विवाहित होने की दशा में : 1. विवाह का दिनांक ....
   2. जीवित बच्चों की संख्या..........................
   3. अंतिम बच्चे का जन्म दिनांक...................
18. अन्य कोई अनुभव हो तो अंकित करें : ....
19. संलग्न दस्तावेजों का विवरण : ....

आवेदक के हस्ताक्षर........................
नाम..
मोबाईल नंबर...................................

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, भोपाल

घोषणा पत्र

मैं, ...पिता/पति श्री...

उम्र...वर्ष...जाति..

निवासी...

जिला...राज्य.. यह घोषणा करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाई गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है। मुझे यह संज्ञान है, कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने जांच में जानकारी सही नहीं पाये जाने तथा मूल दस्तावेजों के मिलान/जांच में सही नहीं पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र पर की गई समस्त कार्यवाही बिना सुनवाई का अवसर निरस्त/समाप्त कर दी जावे, तथा मेरे अपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों को भी वापस किया जावेगा।

स्थान ....
दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर.........................
नाम...
मोबाईल नंबर..................................

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, भोपाल

परिशिष्ट 1

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध श्री / श्रीमती / सुश्री .... अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) / मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) एवं .... आत्मज / आत्मजा / पत्नि / .... निवासी .... के मध्य निम्नानुसार शर्तो पर किया जायेगा।

1. संविदा नियोजन एक निश्चित समय सीमा (दो वर्ष) के लिये की जावेगी। संविदा पर नियोजित सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को पदनाम .... पर कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. संविदा पर नियोजित सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को एक निश्चित मानदेय (Fix Pay) राशि रू. .. .. देय होगा।
3. संविदा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को एक निश्चित कार्य (Assignment) .... के लिये रखा जायेगा।
4. संविदा पर नियोजित संविदा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ की संविदा अवधि पूर्ण होने पर नियोजन स्वमेव ही समाप्त माना जायेगा, संविदा पर नियोजित सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को किसी प्रकार की लिखित में कोई सूचना / पत्र नही दिया जायेगा।
5. संविदा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा प्रस्तुत नही कर सकेगें।
6. यदि कोई संविदा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ संविदा अवधि के दौरान संविदा नियोजन छोड़ना चाहता है, तो उसे संविदा त्याग करने के 30 दिवस पूर्व का नोटिस देना अनिवार्य होगा अथवा एक माह का मानदेय पदस्थी कार्यालय में जमा करना होगा।
7. आचरण से संबंधित प्रावधान : संविदा में नियोजित विशेषज्ञ पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा, कर्तव्य परायण रहेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो संविदा विशेषज्ञ के लिये अशोभनीय हो। संविदा विशेषज्ञ से यह भी अपेछित रहेगा कि वह तत्परता तथा शिष्ठ व्यवहार रखे, शासन की नीतियों का पालन करें, राजनीतिक दलों का भाग नहीं बने तथा विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचनों में भाग नहीं ले, प्रर्दशन तथा हड़ताल में सम्मिलित न हो, अप्राधिकृत रूप से जानकारी नहीं दें, बगैर पूर्व मंजूरी के चंदा एकत्रित नहीं करें, उपहार एवं दहेज नहीं ले एवं ऋण ग्रस्त नहीं हो।
8. संविदा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को ई.पी.एफ. कटौत्रा ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रॉविजन्स। एक्ट, 1952 के प्रावधान के तहत किया जायेगा।
9. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत संविदा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के लिये सदस्यता प्राप्त की जायेगी एवं नियमानुसार योगदान / कटौत्रा किया जायेगा।
10. मानदेय से नियमानुसार आयकर का कटौत्रा किया जायेगा।
11. संविदा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को वर्ष में केवल 13 दिन के आकस्मिक अवकाश, 03 दिन के एच्छिक अवकाश एवं 15 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। किसी भी एक समय पर 3 दिवसों से अधिक कार्य दिवस हेतु निरंतर आकस्मिक अवकाश की पात्रता नहीं होगी। 3 दिवसों से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर आकस्मिक अवकाश अर्जित को [illegible] किया जायेगा। एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी।
12. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर पुर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।
13. कार्य सुविधा की दृष्टि से [illegible] प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को [illegible]

14. संविदा नियोजन आदेश जारी होने से 15 दिवस की अवधि में नियोजन स्थान पर ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा संविदा नियोजन स्वमेव ही समाप्त मान जायेगा।

15. संविदा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू निर्देशों के अनुदेशो के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियोजन बिना कोई कारण बताये समाप्त किया जायेगा।

16. आचरण संबंधी प्रावधनों का उल्लंघन करने पर नियोजनकर्ता अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा एवं सुनवाई का अवसर देने के उपरांत यदि संविदा विशेषज्ञ शर्तों के उल्लघन के लिये दोषी पाये जाते है,तो स्वयं स्पष्ट आदेश जारी कर तथा 1 माह का वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

17. नियोजित सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से संविदा में माना जायेगा। यदि संविदा पर नियोजित सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से लगातार 15 दिवस या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसका संविदा नियोजन उसकी अनुपस्थिति तिथि से स्वतः समाप्त माना जायेगा।

हस्ताक्षर

नियोजनकर्ता अधिकारी का नाम

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक
(सूचना प्रौद्योगिकी)
सतपुड़ा भवन, भोपाल

हस्ताक्षर

संविदा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ का नाम

पिता / पति का नाम

पता

मोबाईल नं.
ई.मेल

गवाह (1) हस्ताक्षर
गवाह का नाम

पिता / पति का नाम

पता

मोबाईल नं.
ई.मेल

गवाह (2) हस्ताक्षर
गवाह का नाम

पिता / पति का नाम

पता

मोबाईल नं.
ई.मेल